POLITICAL SCIENCE Dep.
BA II (H), Paper IV

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. College, Tajpur
Samastipur.

न्यायपालिका

न्यायपालिका शासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह कानूनों की व्याख्या करती है तथा उसका उल्लंघन करने वाले को नियमानुसार दंडित करती है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। गार्नर के अनुसार "बिना विधायिनी अंगों के समाज की कल्पना की जा सकती है, किन्तु बिना न्यायिक अंगों के एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती।"

न्यायपालिका के कार्य –

① कानूनों की व्याख्या करना :-

न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है। वह विवाद कानूनों का अर्थ स्पष्ट करती है।

② नागरिक अधिकारों की रक्षा :-

न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। वह इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि सरकार का कोई अंग इन अधिकारों का अतिक्रमण न करे।

Scanned with CamScanner

③ अभियोगों के निर्णय :-

विधि के उल्लंघन से उत्पन्न मुकदमों का निर्णय न्यायपालिका करती है। नागरिकों के आपसी झगड़े तथा शासन एवं नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निर्णय न्यायपालिका द्वारा होता है।

④ संविधान की रक्षा :-

न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण दायित्व संविधान की रक्षा करना है। यदि विधायिका कोई ऐसा कानून पारित करे जो संविधान के प्रतिकूल है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है।

⑤ परामर्श देना :-

न्यायपालिका राष्ट्राध्यक्ष को परामर्श देने का कार्य भी करती है। भारत में राष्ट्रपति गंभीर संवैधानिक प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं।

⑥ प्रशासनिक कार्य :-

न्यायालय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। न्यायालय की कार्यवाही सम्बंधित प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं। उन्हें आंतरिक प्रशासन सम्बंधी छोटे-छोटे नियमों को लागू करने का अधिकार है।

Dr. Fatima Ara
Asst. Professor

Scanned with CamScanner